संख्या- 241 /2024/999/35-4-2024/35-4099/7/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मऊ ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक, 13 अगस्त,2024

विषय: जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र-घोसी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय पॉलीटेक्निक, पिसवाताल के भवन निर्माण कार्य की लागत पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युकृत विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र-घोसी में राजकीय पॉलीटेक्निक, पिसवाताल के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 22/2020/261/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू० 1755.85 लाख (+जी०एस०टी० नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 32/2021/588/35-4-2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 263.37 लाख, शासनादेश संख्या-202/2021/1786/35-4- 2021, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 853.52 लाख एवं शासनादेश संख्या- 87/2023/200/35-4-2023/001-35-4099/7/2023, दिनांक 13.02.2023 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 351.17 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त परियोजना हेतु अब तक कुल रू0 1668.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- जिलाधिकारी, मऊ के पत्रांक- 936/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक 28.12.2023, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्र दिनांक 05.12.2023; प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक- 954/प्रब० (स0) रा०पाली० घोसी/रानिनि/2024, दिनांक 06.06.2024 एवं लोक निर्माण विभाग के पत्रांक- 1/668529/2024-23-8010(099)/1/2024, दिनांक 14.06.2024 द्वारा उक्त कार्य हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनरीक्षित आगणन एवं तत्संबंधी आख्या उपलब्ध कराते हुये पुनरीक्षित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने संबंधी कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

एतदद्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य की लागत को धनराशि रू0 1755.85 लाख (+GST नियमानुसार देय) से धनराशि रू0 2450.29 लाख (रूपए चौबीस करोड़ पचास लाख उन्तीस हजार मात्र), (GST सहित, देयता वास्तविकता के आधार पर) पर पुनरीक्षित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रूपए में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**पुनरीक्षित लागत**
राजकीय पालीटेक्निक, पिसवाताल घोसी, मऊ का भवन निर्माण कार्य।	1755.85 (+GST नियमानुसार देय)	2450.29 (GST सहित)

1. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।
3. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगाई गई शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (संलग्न)
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
10. उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो, इसे जनपद स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11. त्वरित आर्थिक विकास योजना से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धांतों दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 एवं यथासंशोधित शासनादेश दिनॉक 24 सितम्बर, 2018 का पूर्णतः अनुपालन भी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।
12. नियमानुसार लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
13. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
14. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
15. अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. जी0 एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
17. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 04 मार्च, 2021 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 एवं दिनांक 13.02.2023 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
18. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि व्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
20. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
21. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुत/ अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- E-5-37-X-2024-25 दिनांक 09 अगस्त, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या- 241/2024/ 999(1)/35-4-2024/35-4099/7/2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग ।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त आजमगढ़ मण्डल ।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उ०प्र० ।
9. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, मऊ ।
11. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, मऊ ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मऊ ।
13. परियोजना प्रबंधक, आजमगढ़ इकाई, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, आजमगढ़।
14. संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।